

मजरी देनारी अधिनियम, १९३६ और इसके अन्तर्गत

३१२ गणेशिमाली संशोधन नियम अधिकारी

- (३) अधोन्नायम केन पर लागु होता है ।

(२) कोई भी विकल इस नियम के अन्वर्गत अपने अधिकारों को संविदा अथवा सहमति हात नहीं छोड़ सकता ।

मजूरी पाणे वाले व्यक्तियों पर लागु होता है ।

या किसी अन्य काम में हो अभिषत है, जो कि एक कर्मचारी को रोजगार के संविदा को पूरा करने पर लितना चाहिये ।

इसमें निम्नलिखित पारिश्रमिक शासित है :

(क) किसी पांचांत, नियोजक और नियोजित विकल के बीच हुए किसी समझौते अथवा चापालय के आदेश के अन्वर्गत दिया जाने वाला पारिश्रमिक ।

(ख) अतिरिक्त (ओरराइम) का अम छुट्टियों व छुट्टी लेने के सम्बन्ध में पारिश्रमिक ।

(ग) नियोजन की शर्तों के अन्वर्गत दिया जाने वाला उत्तिरिक्त पारिश्रमिक (इसे बोनस का नाम दिया जाता हो या कोई अन्य नाम) ।

(घ) किसी अतिरिक्त विकल के सामान्यिक के बाद दिया जाने वाले पारिश्रमिक ।

(ङ) किसी अतिरिक्त विकल के अन्वर्गत बनाए गई विकल सीधी समिति के अन्वर्गत सम्पन्न पर दिया जाने वाले पारिश्रमिक ।

परन्तु इसमें यह पारिश्रमिक शासित नहीं है :

(क) रोपा वारास जीव गोपनीय की शर्तों के अन्वर्गत दिये जाने वाले पारिश्रमिक का भाग न हो अथवा दिवालीकी मजूरी का भिन्न पांच, नियोजक व छुट्टी लेने के बीच किसी समझौते अधिकारीयता की अड़ा ऐसा में प्रबंध न दिया गया हो ।

(ख) चर्चेत् राजन का मूल्य या विजेता पारी, डाक्टरी सहायता या कोई अन्य सुविधा व सेवा, जिन्हें किंवा राजन सरकर की अपन या विशेष अड़ा में मजूरी जोड़ने के लिए शासित न किया गया हो ।

(ग) नियोजनके द्वारा मूल्य निरुति जान या भवित्व निरी ने दिया गया रूपया और उस पर बदले याता भाज ।

(घ) याता जा भत्ता या विस्तीर्ण याता की रिपायत का मूल्य ।

(ङ) अपनी नौकरी के नाते होने वाले विशेष उच्चर को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को दी गई रकम ।

(च) उपरोक्त ३ (घ) में बदलाव यद्युपर्याप्त नौकरी के खास होने पर दी जाने वाले कोई अन्य देश देश उपरापत ।

(५) अदायगी की नियोजार्थी व तरिका : कारखाने का नियोजक अपने नौकरों काम करने जाने कमीश्रमियों को प्रभुत्वी अधिकारीयता के अन्वर्गत देश का नियोजक लोग और जो टेक्सेटर दितने आदियों को अपने नाम पर लगाया, उनको मजूरी अदा करने का वह जिम्मेदार होगा ।

(६) मजूरी देने के लिए समय नियोजन कर दिया जायेंगे और यह एक भवित्व से अधिक अवधि के नहीं होगे ।

(७) मजूरी काम करने के दिन, मजूरी देने के नियित समय के समाप्त होने के साथ दिन (ओर यदि १००० या इससे अधिक व्यक्ति काम पर लाग रहे हों तो ७० दिन के अन्वर्गत अन्दर देश होगी । दितन याजीन को नौकरी से हटा दिया गया हो, उसे नौकरी से हटाने के बाद अगले काम के दिन अवश्य ही मजूरी मिल जानी चाहिये ।

(८) गाल रामान में अदायगी कारबंद नहीं होनी चाहिये । तामाम मजूरियों वालू रिक्वेट व करेसी नोट या दावों में दी जानी चाहिये ।

(९) किसीतों में व्यस्त नहीं किये जायेंगे और ही इनके लगाने के ८० दिनों के बाद दर्दुन्न दिये जा सकेंगे ।

(१०) एक रिक्वेट में इनका रिकार्ड रखा जायेगा और दोपहर इत्यादी विवरण (सिल्वरिज) से मन्त्रालय द्वारा कर्मचारियों के भवते के कामों में प्रयुक्त रिक्वेट जायेगा ।

(११) यात्री को एक वार्षिक कर्मचारी अपास में विलक्षण रिक्वेट दिये और जिसकी विवरण कारण के गैरहालिर हो तो नोटिस के बदले में ८ दिन की मजूरी कीटी जा सकती है, लेकिन होनी चाहिए जो कि कुल समय के सुनाविक उस समाप्त की ऊपरत वर्ती हो ।

(१२) यात्रि दस या इससे अधिक कर्मचारी अपास में विलक्षण रिक्वेट दिये और जिसकी विवरण कारण के गैरहालिर हो तो नोटिस के बदले में ८ दिन की मजूरी कीटी जा सकती है, लेकिन होनी चाहिए जो कि कुल समय के सुनाविक उस समाप्त की ऊपरत वर्ती हो ।

(१३) किसी ७५ वर्षों की कम आयु को लड़के व महिला से संविदा तोड़ने पर कोई कटौती नहीं की जायेगी ।

(१४) नौकरी के संवेदन में यह भी लिया होना चाहिए कि कर्मचारी को काम छोड़ने से पहले एक विशेष अवधि जो कि ७५ दिनों से अधिक हो या जिस नियमी अवधि का लगाउ अपने कर्मचारी को नियमानुसारे प्रस्तुत करने का अन्या पाल प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो ।

(१५) यात्री के लिये कारबंद की जाने वाली कटौती के बाद दर्दुन्न दिया जाना चाहिये ।

(१६) इस प्रकार को कटौती तब सक्त ही की जाए जल्दी जब तक कि इस अधिकारी का नोटिस कारखाने से मुख्य द्वारा या इसके पारा न लगा दिया गया हो ।

(१७) यह कटौती उस अवधि की उत्तरता के अन्वर्गत दिये जाने वाले नोटिस की कर्मचारी द्वारा वार्षिक जो कि उसकी नियमी नौकरी करता हो या न करता हो) या किसी किसी और सम्बन्ध की ओर से दिया गया हो ।

(१८) ऐसे सामान को नुकसान पहुँचने पर युवा होने के बदले कर्मचारी की जल्दी की सुरक्षा में नीकटती की जा सकती है, जो किसी नियमी नौकरी में रखा गया हो और ऐसे सामान तो कम हो जाने की सुरक्षा में नीकटती की जा सकती है, जो किसी नियमी नौकरी की अवधि कारबंद के अन्वर्गत दिये जाने वाले नोटिस कारखाने से जारी किया गया हो ।

(१९) ऐसे सामान को नुकसान पहुँचने पर युवा होने के बदले कर्मचारी की जल्दी की सुरक्षा में नीकटती की जा सकती है, जो किसी नियमी नौकरी की अवधि कारबंद के अन्वर्गत दिये जाने वाले नोटिस कारखाने से जारी किया गया हो ।

(२०) यह कारबंद के लिये कारबंद की अवधि की जाने वाली कटौती के बाद दर्दुन्न दिया जाना चाहिये ।

(१३) मालिक द्वारा उपलब्ध की गई सुविधाओं व सेवाओं (जैजरों य कच्चे माल को छोड़कर) की क्रियत के बाबत परटी की जा सकती है यदि यह तात्परता कम्भियां द्वारा खोजार के करार के एक भाग के तौर पर मन्त्र संस्थानी की गई हो और सरकार ने इस बारे में घोषित की हो।

(१४) कर्मचारी द्वारा लिखित अधिकार देने के बाद जीवन विधान विभाग अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत स्थापित जीवन विधान को उसकी जीवन वीआप विभाग की ओर से लिया जाना चाहिए। जीवन विधान की जासकती है अत्याधिकार या जिसी राज्य सरकार की सिक्युरिटी और सुरक्षा या जीवन विधान की जासकती है। बदलते योजना के लिए योरेस्ट अफिसर सेविया बैंक में ऐसा जामा करवाने के लिए कठीनी की जा सकती है।

(१५) (क) वेशी दी गई रकम को वापस करने या अधिक दी गई महजी को प्राप्त करने के लिए कठीनी की

(ख) नौकरी पर काम युल करने से पहले कमची को दी गई पेशी रकम उजारत, देने के नियमित समय के लिए होने पर पहले स्पर्ध उत्तरत नहीं की जा सकती। पर काम युल करने से पहले स्पर्ध उत्तर के लिए दी गई पेशी रकम बहुत नहीं की जा सकती। आगे काम युल करने वाली उजारतों के बदले पेशी, नौकरी के दौरान मात्रिक की इच्छा पर दी जा सकती है। प्रस्तु यह पेशी बिना जिसी इन्स्प्रेक्टर की इजाजत लिए बिना दो महीने की उपरत से अधिक नहीं होनी चाहिये। पेशी रकम उत्तरों में व्यूल को जा सकती है परन्तु यह किसी दो महीने से अधिक समय तक नहीं चलनी चाहिये और ना की कोई किसी एक नियमित समय के लिए दी जाने वाली उजारत के एक बटा तीन भाग (और परि उजारत २० रुपये से कम हो तो एक बटा बार भाग) से अधिक न हो।

(१७) स्थानीय सरकार द्वारा मंजूर युद्ध किसी सहकारी या को अदायगी करने के लिए या पोरटल इन्डियागेरेसन में रूपया देने के लिए यह अनुमति नहीं दी जाती।

इन हालातों में कट्टौती नहीं की जा सकती ।
१०८४-७५ वर्ष के दौरे हर किसी कर्मचारी पर निम्नलिखित जुर्माने लगाने से उत्तरतों में होते हैं ।

प्राया ४०० वर्षों से ज्ञान की विद्या का अध्ययन होता रहा। इसका उद्देश्य भारतीय धर्म का अध्ययन था। इसका उद्देश्य भारतीय धर्म का अध्ययन था। इसका उद्देश्य भारतीय धर्म का अध्ययन था। इसका उद्देश्य भारतीय धर्म का अध्ययन था।

(व) पद घटा देना या उत्तरतों के सम रक्षेत्र पर लगा देना या उस समय चारू रक्षेत्र में कम स्तर पर देना।

(७) मुआत्ती ।
 (८) निरीक्षण : इनसेक्टर किसी भी कारखाने में जा सकता है और अधिनियम के उद्देशों की पूर्ति के हेतु निरीक्षण कर सकता है ।

(२०) कर्टोटी य देर होने की शिकायतेः
 (२१) जब अनियमित रूप से मजुरी में कर्टोटी की गई हो या अदायगी में देर की गई हो तो कर्मचारी

दरा नियुक्त अधिकारी को दे दें । पहले दौसो हात का लोट पप्पाज ने दिया गया हो, तो उद्धरि के बाद दिया गया प्रथमना पत्र एवं किया जा सकता है ।

मदरु से काम कर रहा काइ अंड व्हालू ब्राह्मण ५१ उन दिनों तक जीवन का एक अच्छा दिन होता था।

(२५) अधिकारी द्वाय कारयणः
 (२६) अधिकारी लक्ष्मी हुई उत्तरसे की अदायगी गा. मैट-कानपी तौर पर को गई कर्टेंटी की गांगा सा कर
 -१७ लाख देखे जै अधिकारी लक्ष्मी को प्रश्नता गी उत्तिवा सकता है।

जिम्मेदार हो, कि जापानीर का उत्तरा भाषा, जो कि उसके विद्यार में, उस रसम की अदायगी में जिससे आज्ञा दी गई थी, पर्याप्त होगा, को युक्त करने की आज्ञा दे सकता है। यदि शिक्षात् युक्ति है और यह शब्द गणितिक को दिये जानी चाहिए,

(क) उत्तर से दन पाल छाना, वाला उसी जै रखा। यह एक अधिक है।

(ii) ऐसे यात्रियों की संख्या जिनमें से एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया प्रधान व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। इनमें से एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया है।

बहुत जिस वाप्त को जानती है, उरमें कारबोन के प्रयुक्ति और अद्या उसके सभीप नहीं लगता, अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये कुछ कार्डों को लोडता है। पर २०० लोगों तक जुर्माना हो जाएगा।

IAIN BOOK DEPOT